जमाबंदी रद्दीकरण 89/2018

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी सुधार वाद अरूणाक्षी देवी पति स्व0 विश्वनाथ मिश्र, साकिन–दिघिया, थाना+जिला– सहरसा के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 8 के अंतर्गत इस न्यायालय में दायर किया गया है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
दिघिया	193	94	45	0–19–19–0
		105	51	0–8–12–0
		130	449	0–8–19–0
		130	453	0–4–6–5
		130	626	0–14–0–0
		1	636	0–6–8–0
		30	757	0–0–17–0
			कुल	3–3–1–5

आवेदक का कथन है कि उपरोक्त प्रश्नगत जमीन उनकी रैयती जमीन है तथा पूर्व से ही उस जमीन का लगान रसीद निर्गत है, जो अद्यतन चल रही है। जमीन से संबंधित इन्होंने वर्ष 1998–99 के लगान रसीद की छायाप्रति, मालिक जमींदार से की गयी खरीदगी/बंदोबस्ती की छायाप्रति संलग्न किया है। लगान रसीद के अनुसार प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी 10/12/254 है। परंतु आवेदक के अनुसार उक्त जमीन का विवरण राजस्व विभाग के बेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया है तथा अंचल कार्यालय द्वारा यह बताया जा रहा है कि जमाबंदी पंजी का संबंधित पृष्ठ क्षतिग्रस्त हो चुका है।

विभागीय पत्रांक 09/द0 खा0–4–09/2018–19 (9)/रा0 दि0 03.01.2018 द्वारा क्षतिग्रस्त जमाबंदी पृष्ठों को पुनर्गठित करने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त पत्र की कंड़िका 4 में वर्णित है कि –

" यदि जमाबंदी पंजी का कोई पृष्ठ क्षतिग्रस्त होना पाया जाता है तो वैसी स्थिति में लगान रसीद की मालिकी फर्द के आधार पर पुनः जमाबंदी पंजी में उक्त जमाबंदी को प्रारंभ किया जा सकता है। इस संबंध में रैयतों के पास उपलब्ध लगान रसीद से मदद ली जा सकती है। इस प्रकार के मामले नयी जमाबंदी प्रारंभ करने की श्रेणी में नहीं आयेंगे बल्कि क्षतिग्रस्त जमाबंदी से संबंधित पन्ना के बदले नये पन्ना पर उसी जमाबंदी को पुनः Re-Write करने से संबंधित है।"

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला जमाबंदी

कार्यालय पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

को पुनः Re-Write करने से संबंधित है। अंचलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि पूर्व से निर्गत लगान रसीद के आधार पर आवेदिका के पक्ष में जमाबंदी पुर्नविलेखन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पक्षकार अपना–अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

अपर समाहर्ता,
सहरसा

अपर समाहर्ता,
सहरसा